

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1.	District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU	P.S. (थाना): SVB ROHTAK	Year (वर्ष): 2022
	FIR No. (प.सू.रि. सं.): 0010	Date and Time of FIR (प.सू.रि. की दिनांक और समय): 17/06/2022 20:43 hrs	

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3.	(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):		
1	Day (दिन): Friday	Date from (दिनांक से): 17/06/2022	Date To (दिनांक तक): 17/06/2022
	Time Period (समय अवधि): Pahar 6	Time From (समय से): 16:15 hrs	Time To (समय तक): 16:15 hrs
	(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):	Date (दिनांक): 17/06/2022	Time (समय): 17:15 hrs
	(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):	Entry No. (प्रविष्टि सं.): 019	Date and Time (दिनांक और समय): 17/06/2022 20:29 hrs

4.	Type of Information (सूचना का प्रकार): Written		
5.	Place of Occurrence (घटनास्थल):		
1.	(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 5 Km(s)		
	(b) Address (पता): न्यायालय परिसर रोहतक,		
	(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):		
	District (State) (जिला (राज्य)):		
6.	Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):		
(a)	Name (नाम): देवेन्द्र उर्फ कालू		
(b)	Father's Name (पिताका नाम): श्री बाले सिंह		
(c)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1992		
(d)	Nationality (राष्ट्रियता): INDIA		
(e)	UID No. (यूआईडी सं.):		
(f)	Passport No. (पासपोर्ट सं.):		
	Date of Issue (जारी करने की दिनांक):		
	Place of Issue (जारी करने का स्थान):		
(g)	ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))		
	S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
(h)	Occupation (व्यवसाय):		
(i)	Address (पता):		
	S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
	1	Present Address	गाँव निन्दाना, MEHAM, ROHTAK, HARYANA, INDIA

2 Permanent Address

गाँव निन्दाना, MEHAM, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9992293072

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रविन्द्र हुड्डा			1. ऑक्शन रिकॉर्डर मार्किट कमेटी, महम जिला रोहतक, MEHAM, ROHTAK, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे.डी.एस.पी.स्टेट विजीलेंस ब्यूरो रोहतक विषय भ्रष्ट लोकसेवक पर रैंड की कार्यवाही करने बारे। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं देवेन्द्र उर्फ कालू सुपुत्र श्री बाले सिंह गाँव निन्दाना तहसील महम जिला रोहतक का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपने भतीजे हरिश सुपुत्र श्री सुभाष निवासी गाँव निन्दाना तहसील महम जिला रोहतक सहित आपके पास आया हूँ। अनाज मण्डी, महम में सतीश, पूर्व सरपंच निवासी बड़ा भैण जिला रोहतक ने फर्म सतीश एण्ड ब्रदर्स नाम से दुकान नम्बर 23 व शौल् सुपुत्र नन्दलाल निवासी बडाली जिला रोहतक ने नन्दलाल एण्ड सन्स के नाम से दुकान नम्बर 24 की हुई है। उक्त दोनों दुकान मालिक मेरे अच्छे परिचित हैं और उन्होंने ये दुकानें कई वर्षों से देख-रेख व आदत का कार्य करने के लिए मुझे दे रखी है। मेरे द्वारा उक्त फर्मों के नाम से उक्त दुकानों पर कार्य किया जा रहा है। मेरे साथ उक्त दुकानों पर इस सीजन में मेरा भतीजा हरिश सुपुत्र सुभाष निवासी गाँव निन्दाना भी कार्य कर रहा है। सम्बन्धित किसानों से गेहूँ लेने उपरान्त हमारे द्वारा लेबर की सहायता से सफाई, झराई,भराई इत्यादि करके इस सीजन में लगभग 6500 क्विंटल गेहूँ(50/50 किलोग्राम वजन के 13,000 कट्टे) मार्किट कमेटी, महम के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित गोदामों में जमा करवाए गए हैं। उक्त जमा करवाए गए गेहूँ के सम्बन्ध में सरकार द्वारा रुपये 46 प्रति क्विंटल की दर से कमीशन का भुगतान किया जाना है। व इसके अतिरिक्त लेबर से सम्बन्धित भुगतान भी किया जाना है। रविन्द्र हुड्डा, ऑक्शन रिकॉर्डर, मार्किट कमेटी महम जिला रोहतक द्वारा उक्त रुपये दिए जाने के लिए रिश्वत के रूप में मुझसे 70 पैसे प्रति कट्टे के हिसाब से लगभग रुपये 9,000/- की मांग की गई है। उक्त रविन्द्र हुड्डा द्वारा मुझे बतलाया गया है की उक्त रिश्वत की राशि 70 पैसे प्रति कट्टा में से 50 पैसे प्रति कट्टा मार्किट कमेटी, महम के अधिकारियों/कर्मचारियों को तथा 20 पैसे प्रति कट्टा के हिसाब से फुड एवं सप्लाय विभाग महम के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी हिस्सा दिया जाना है। उक्त रिश्वत की राशि के लेन-देन के सम्बन्ध में मेरी मेरे मोबाईल फोन सम्पर्क संख्या 9992293072 से उक्त रविन्द्र हुड्डा के मोबाईल फोन सम्पर्क संख्या 7988969368 पर दिनांक 09.06.2022 को शाम के समय वार्तालाप हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपने मोबाईल फोन में कर ली थी, जो मैं आपको बाद में प्रस्तुत कर दूंगा। आज मेरे द्वारा आरोपी रविन्द्र हुड्डा को रिश्वत के रूप में रुपये 9000/- दिए जाने हैं, जो मैं नहीं देना चाहता। आरोपी रविन्द्र हुड्डा व अन्य आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। आरोपी रविन्द्र हुड्डा द्वारा गेहूँ से सम्बन्धित राशि का भुगतान किए जाने के लिए अनाज मण्डी, महम के अन्य आढतियों से भी रिश्वत ली गई है। हस्ता हिन्दी देवेन्द्र (देवेन्द्र) देवेन्द्र उर्फ कालू सुपुत्र श्री बाले सिंह गाँव निन्दाना तहसील महम जिला रोहतक मो.नं. 9992293072 कार्यवाही पुलिस – आज मैं सुमित कुमार उप पुलिस अधीक्षक स्वयं,साहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार 1136 /रेवडी, साहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार न0 38/रोहतक, मुख्य सिपाही विरेन्द्र 895/रोहतक मुख्य सिपाही जगबीर 1114/रोहतक, सिपाही अनील 571/झज्जर सहित सरकारी गाडियों बोलेरो पंजीकरण संख्या HR 03Z-2010 में चालक ई/साहायक उप निरीक्षक कृष्ण 866/भिवानी तथा HR -03Z-5413 में चालक सिपाही पवन कुमार 1233/झज्जर सहित सरकारी कार्य हेतु न्यायालय परिसर रोहतक के समीप लेपटोप,प्रिंटर अनुसंधान अधिकारी की कीट इत्यादि वस्तुओं सहित उपस्थित हूँ कि शिकायतकर्ता देवेन्द्र उर्फ कालू सुपुत्र बाले सिंह गाँव निन्दाना तहसील महम जिला रोहतक ने अपने भतीजे हरिश सुपुत्र श्री सुभाष निवासी गाँव निन्दाना तहसील महम जिला रोहतक सहित मुझसे मुलाकात करके उपरोक्त शिकायत प्रस्तुत की है। इस शिकायत के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत का अध्ययन करने पर धाराधीन 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध घटित होना पाया जाने पर यह लेख अभियोग पंजीकृत किए जाने के लिए सिपाही अनील 571/झज्जर के माध्यम थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक भेजा जा रहा है। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किए जाने उपरान्त अभियोग संख्या से सूचित किया जाए। पंजीकृत किए जाने उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिया विशेष वाहक/ई0मेल के माध्यम से संबंधित ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों के पास भिजवाई जाए। उपायुक्त महोदय रोहतक की उपस्थिती बारे पता करने उपरान्त मैं स्वयं चालक सिपाही पवन कुमार 1233/झज्जर सहित सरकारी गाडी में रैंड की अनुमति लेने इत्यादि के सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय रोहतक के कैम्प कार्यालय जा रहा हूँ। स्थान न्यायालय परिसर,रोहतक के समीप समय 4.15 पी.एम हस्ता अंग्रेजी SUMIT KUMAR (सुमित कुमार) उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दिनांक 17.06.2022 अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर हजा के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 10 दिनांक 17.06.2022 U/S 7 P.C.Act-1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल द्वारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त सि0 अनील कुमार न0 571/झज्जर की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से नि0 राकेश कुमार की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SUMIT KUMAR Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
No. (सं.): PINSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station (थाना)

प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम)

Rank (पद)

No. (सं.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				

Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect
(भाषा/बोली)

Place of (का स्थान)

Others (अन्य)

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा/सफ़ेद धब्बे)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)
14	15	16	17	18

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)